न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– **08/2016**

कैलाश यादव वनाम राज्य

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत आपूर्ति अपील अपीलार्थी कैलाश यादव, प्रबंधक कृषि साख सहयोग समिति सतौर द्वारा अनुज्ञप्ति 21/2011 को अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 2349 गो0, दिनांक 19.11.2016 द्वारा रद्द किये जाने के विरूद्ध दाखिल किया गया हे।

अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी सत्तौर पैक्स का मैनेजर है ओर अनुज्ञप्ति सत्तौर पैक्स के नाम निर्गत रहने के कारण पैक्स मैनेजर की हैसियत से वे जन वितरण प्रणाली दूकान संचालन करते आ रहे है। ग्रामीण राजनीति के तहत कुछ उपभोक्ताओं एवं लाभुकों से बार–बार अनुरोध करने के बावजूद वे न तो खाद्यान्न एवं और न ही किरासन तेल की उठाव करते थे, जबकि इन सामग्रियों के उठाव के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नौहट्टा के अनुरोध को भी नजर अंदाज कर दिया। अपीलार्थी ने 05.07.2016 को ऐसे उपभोक्ताओं को दूसरे दूकान से संबद्ध करने हेतु आवेदन के माध्यम के अनुरोध किया थां। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रयास के बाद भी उन लाभर्थियों द्वारा समान का उठाव नहीं करने के कारण पंचायत के दूसरे जन वितरण प्रणाली दूकानदार राजेश्वर यादव के दूकान से इन्हें संबद्ध कर 548 के स्थान पर 462 उपभोक्ता माह अगस्त 2016 से कर दिया गया। आवंटन की प्रविष्टि स्टॉक पंजी में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह कर दिया जाता था। अपीलार्थी के अनुरोध पर पी.एच.एच. मद के आवंटन में लाभार्थियों को 2082 से धटाकर 1716 कर दिया गया था तथा इन लाभार्थियों राजेश्वर यादव के दूकान से संबद्ध कर दिया गया था। इसी तरह अन्तोद्य में 90 लाभर्थियों को धटाकर 88 कर दिया गया एवं दो लाभार्थी को राजेश्वर यादव के दूकान से संबध कर दिया गया। ग्रामीण राजनीति के तहत श्रीमति रेणु देवी वार्ड सदस्य वार्ड नं0– 3 के पंचायत चुनाव से अपीलार्थी की दुश्मनी चली आ रही थी और उन्होंने गलत एवं बनावटी आवेदन अपीलार्थी के खिलाफ मिलाकर अपीलार्थी को सबक सिखाने की कोशिश की है। प्रथमतः मामले की जॉच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा की गयी थी और जो लाभार्थी अपीलार्थी के दूकान से समान लेना नहीं चाहते थे उन्हें राजेश्वर यादव के दूकान से संबद्ध कर दिया गया। इसके परिवाद कर्त्ता संतुष्ट नहीं थे ओर वे गलत आरोप पर अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति रद्ध कराना चाहते थे। सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन अस्पष्ट है क्योंकि किसी भी लाभार्थी ने यह नहीं बतलाया कि कितना कम खाद्यान्न दिया गया है और कितनी अधिक राशि उनके वसूली गयी है। अस्पष्ट एवं अनिश्चित आरोपों पर अनुज्ञापन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी के ज्ञापांक 1903 दिनांक 01.09.2016 द्वारा अपीलार्थी के कारण पृच्छा की मॉगी की गयी थी और अपीलार्थी ने आरोपों को खंडण करते हुए 18.09.2016 के कारण पृच्छा समर्पित किया परन्तु अपीलार्थी को सुने बिना अनुमंडल पदाधिकारी के ज्ञापांक 2349 दिनांक 19.11.2016 द्वारा अनुज्ञप्ति रद्ध कर दी गयी और इससे विक्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित करने तथा इस बीच अनुमंडल पदाधिकारी के पारित आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की याचना की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

निम्न न्यायालय अभिलेख में संधारित श्रीमती रेणु देवी एवं अन्य 12 व्यक्तियों के अनुमंडल पदाधिकारी को संबोधित आवेदन में जन वितरण प्रणाली विक्रेता कैलाश यादव के विरूद्ध आरोप हे कि वे सहरसा में भाड़ा के घर में रहते है। गरीब एवं मजदूर का सारा अनाज सहरसा से उठाकर सहरसा में ही बेच देते है। चार–पॉच माह में एक बार अनाज एवं तेल बॉटा जाता है, वह भी निर्धारित मात्रा से कम एवं अधिक कीमत पर। विरोध करने पर झूठे मुकदमें में फॅसाकर बर्बाद करने की धमकी देते है। साथ ही ये सहरसा में रहकर भारतीय जीवन बीमा निगम का भी कार्य करते है। इन आरोपों की जॉच अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी से करायी गयी। दिनांक 12.08.2016 को सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कुल 27 लाभुकों का लिखित बयान अंकित किया, जिसमें उल्लिखित आरोपों की सम्पुष्टि की गयी है। जॉच पदाधिकारी ने अपने जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि श्री कैलाश यादव जो पैक्स अध्यक्ष के भाई है, तीन–चार माह पर खाद्यान्न एवं दो माह अनाज करके निर्धारित मात्रा से कम एवं निर्धारित कीमत से अधिक लेकर लाभार्थियों को आपूर्ति करते है।

इनकी भाषा मर्यादित नहीं है। जिसको मन में आया समान दिया या नहीं दिया। लाभार्थियों से दादागिरी के समान व्यवहार करते है। नारायणपुर वार्ड नं0– 3 नदी से घिरा हुआ है और नाव से नदी पार कर वहाँ जाना पड़ता है। विक्रेता के व्यवहार से लाचार होकर शिकायत किया गया है। जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकण प्राप्त कर आदेश पारित किया गया है।

अतः उल्लिखित तथ्यों के विश्लेषण से अनुज्ञापन पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 2447 गो0, दिनांक 19.11.2016 द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाये जाने के कारण पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारीज (Dismiss) किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

9.3.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

9.3.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 436-2 / विधि, सहरसा, दिनांक– 10-3-17.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
10-3-17